प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.03.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.03.25/22.03.25 की रात्रि में वसुन्धरा में ज्वैलरी की दुकान का शटर तोडकर दुकान से 04 किलो चांदी व 03 ग्राम सोने की चोरी की घटना कारित करने वाला शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, चोरी किये गये सफेद धातू के गले हुये 02 टुकडे व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई 01 कार बरामद।

लूटपाट / चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा प्रतिदिन थाना क्षेत्र मे सघन चेकिंग की जा रही है, चेकिंग के दौरान दिनांक 27.03.2025 को वसुन्धरा सैक्टर- 01 हिण्डन बैराज पुलिया के पास एक स्लेटी रंग की कार आ रही थी। जिसके चालक द्वारा पुलिस को चेकिंग करता देखकर तेजी से कार को रोककर पीछे की तरफ मोडकर कार से भागने का प्रयास किया तो हडबडाहट में कार डिबाइडर से टकरा गयी और कार चालक कार से उतरकर भागने लगा। जिसे पकडने का प्रयास किया गया तो भाग रहे व्यक्ति द्वारा अचानक मुड कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से निशाना लगाते हुये अपने हाथ में लिये हथियार से फायर कर दिया गया। जिससे पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायर कर रहे युवक पर जवाबी फायर किया गया। जिससे गोली चलाने वाले अभियुक्त अंकित सक्सेना उर्फ बबलू उर्फ विजय सक्सेना पिता रमेश चंद्र निवासी मोहल्ला मोहन गली कायस्थान कासगंज हाल पता गली न 4 नियर कपड़े की फैक्ट्री गढ़ी चौखंडी नोएडा के पैर में गोली लगी। जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया, जिसके उपरान्त घायल अभियुक्त को मौके पर ही हिरासत मे लिया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के पास से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस बरामद कर अभियुक्त की कार की तलाशी ली गई तो कार के डैसबोर्ड से सफेद धातू के 02 गले हुये टुकडे बरामद किये गये।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 21/22.03.2025 को वसुन्धरा स्थित अम्बे ज्वैलर्स के यहां पर की गयी चोरी सहित अन्य चोरी की घटनाओं को कारित करने का इकबाल किया है। अभियुक्त उपरोक्त से बरामद सफेद धातु के गले हुये दोनो टुकड़े के विषय में पूछा गया तो बताया कि दिनांक 21 व 22.03.2025 की रात्रि को मैने व मेरे साथी राजवीर सिंह चौहान पुत्र विष्णु सिंह चौहान निवासी आफिसर्स कालोनी रेलवे रोड उझानी थाना उझानी जनपद बदायूं तथा दो अन्य साथी जिनका नाम पता मुझे नही मालूम उन दोनो को राजवीर लेकर आया था ने मिलकर मेवाड कालेज वसुंधरा के पास एक ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोडकर कुछ चांदी जेवरात तथा सोना चोरी किया था, चांदी को मेरे साथी राजवीर द्वारा गला लिया गया था।

जिसमे चांदी के दोनो टुकडे जो कार के डैश बोर्ड से बरामद किया है वो टुकड़े मेरे हिस्से मे आये थे। मै आज फिर से रात में दूसरी दुकानो में चोरी हेतु रेकी करने आया था। अभियुक्त अंकित उपरोक्त से उसकी फर्जी नम्बर प्लेट लगी कार रजि0 सँख्या DL 4C AV 3633 के विषय में पूछा तो बताया कि यह कार मेरे साथी राजवीर की है। रात में मैं व राजवीर व राजवीर के साथी इसी कार में बैठकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे, ताकि हमारी गाडी पकडी न जाये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकित सक्सेना उर्फ बबलू उर्फ विजय सक्सेना पिता रमेश चंद्र निवासी मोहल्ला मोहन गली कायस्थान कासगंज हाल पता गली न 4 नियर कपड़े की फैक्ट्री गढ़ी चौखंडी नोएडा उम्र 47 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, सफेद धातू के 02 टुकडे व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्द लूट ,हत्या का प्रयास ,डकैती और फ्रोड के करीब एक दर्जन मुकदमे जनपद कासगंज उत्तरप्रदेश व गुरुग्राम हरियाणा मे पंजीकृत है।

थाना इन्दिरापुरम पर चोरी , लूट , आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा डकैती के अभियोग में वांछित/ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस तथा लूटा हुआ बैग बरामद।

दिनांक 13.02.2025 की रात्रि को थाना मुरादनगर क्षेत्रान्तर्गत एक व्यापारी व कर्मचारी से 07 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चलाते हुये पैसो का थैला व हिसाब का बहीखाता व दुकान की चाबी, गोदाम की चाबी लेकर मौके से भाग गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। तत्पश्चात थाना पुलिस द्वारा पूर्व में मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 06 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास के बाद अभियोग में वांछित/ईनामी अभियुक्त शत्रुघन उर्फ शत्रु उर्फ भांजा उर्फ अखिल गुप्ता उर्फ राकेश पुत्र अरविन्द गुप्ता नि0 गली नं. 03 कृष्णा विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ करते हुए घटना में लूटे हुए शेष बही खाता के बैग की बरामदगी हेतु मुरादनगर क्षेत्र के गंगनहर पटरी के

पास लाया गया था। इसी दौरान अभियुक्त ने वहां छुपाकर रखा गया हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता-

(1) शत्रुघन उर्फ शत्रु उर्फ भांजा उर्फ अखिल गुप्ता उर्फ राकेश पुत्र अरविन्द गुप्ता नि0 गली नं. 03 कृष्णा विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस
2. लूटा हुआ बही खाता का बैग

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 97/16 धारा 79,411 भादवि थाना लिंक रोड गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 98/16 धारा 379,411 भादवि थाना लिंक रोड गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 102/16 धारा 411,414 भादवि थाना लिंक रोड गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 497/18 धारा 380,411 भादवि थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 498/18 धारा 380,411 भादवि थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 787/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 344/2020 धारा 411 भादवि थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद
8. मु0अ0सं0 66/25 धारा 311,317(3) बीएनएस थाना मुरादनगर गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना मुरादनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.03.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त इमरान अहमद पुत्र बाबू खान निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष को चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक संगठित गिरोह है जो अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन-लाभ अर्जित करने के लिए गर्भवती महिलाओं के भ्रूण का लिंग परीक्षण करने जैसे अन्य अपराध कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करता है। अभियुक्त के साथी पंकज व डा0 कमल कुमार को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिए गर्भवती महिलाओं के भ्रूण का लिंग परीक्षण करने जैसे अपराध कारित किये हैं। जिसमे मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान अहमद पुत्र बाबू खान निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर भ्रूण का लिंग परीक्षण व गैंगस्टर अधिनियम के 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद।

दिनांक 26.03.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण1 . जिशान पुत्र इस्लाम निवासी जुम्मा मस्जिद के पास अमन गॉर्डन फेस-2 निठौरा रोड अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष 2 . समीर पुत्र सगीर निवासी फतिमा मस्जिद के पास अमन गॉर्डन वेव सिटी निठौरा रोड अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21वर्ष को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों ने यह स्कूटी कुछ माह पहले मौका पाकर दिल्ली से चोरी की थी। हम इस चोरी की स्कूटी को बेचने के लिये ग्राहक की तलाश में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. जिशान पुत्र इस्लाम निवासी जुम्मा मस्जिद के पास अमन गॉर्डन फेस-2 निठौरा रोड अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19वर्ष।

2. समीर पुत्र सगीर निवासी फतिमा मस्जिद के पास अमन गॉर्डन वेव सिटी निठौरा रोड अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग---

अभियुक्तगण के विरूद्ध दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा आपसी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट/फायरिंग करने वाले 25000/--25000/- रूपये के ईनामी तीन अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण- दिनांक 22.03.2025 की रात्रि को थाना मधुबन बापुधाम सूचना प्राप्त हुई की ग्राम दुहाई में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में अन्धाधुन्ध फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। दोनो पक्षो के द्वारा फायरिंग किये जाने की सूचना थी। सभी अभियुक्त मौके से फरार हो गये थे।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 23.03.2025 को आपसी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट एवं अन्धाधुन्ध फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर दोनो पक्षो के विरुद्ध मु0अ0सं0 -100/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/351(2) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया व उच्चाधिकारी गणों द्वारा वांछित अभियुक्तो पर 25000-25000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।आज दिनांक 27.03.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा लोकल इनपुट व लोकल इंटेलिजेन्स के माध्यम से उक्त अभियोग में वांछित 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों को दुहाई मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में भी थाना मधुबन बापूधाम द्वारा उक्त मुकदमे से सम्बन्धित दो अभयुक्तो को दि0 25.03.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्याया0 के समक्ष पेश किया जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

1. सोहित उर्फ संदीप त्यागी पुत्र धर्मविजय निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
2. सीटू उर्फ कुलदीप त्यागी पुत्र धर्मविजय निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
3. सैकी उर्फ दिव्यांश पुत्र योगेश त्यागी निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाला वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 24.03.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी की तहरीर के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त करन के द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 27.03.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाला वाँछित 01 अभियुक्त करन पुत्र बॉउआ वर्तमान पता दुर्गा भोजनालय सै0 2 वैशाली गाजियाबाद मूलपता वार्ड नं0 4 मक्खन सिंह नगर पाठकपुर शिवराजपुर कानपुर नगर (उ0प्र0) उम्र करीब 20 वर्ष को कौशाम्बी बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त करन पुत्र बॉउआ उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 137(2) बीएनएस में धारा 65(1) बीएनएस व ¾(2) पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त करन पुत्र बॉउआ उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और मैनें उसके साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

करन पुत्र बॉउआ वर्तमान पता दुर्गा भोजनालय सै0 2 वैशाली गाजियाबाद मूलपता वार्ड नं0 4 मक्खन सिंह नगर पाठकपुर शिवराजपुर कानपुर नगर (उ0प्र0) उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त करन पुत्र बॉउआ उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.03.2025 को वादिया की तहरीर पर जिसमें रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14FT8299 कैब के ड्राईवर द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ करने की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 26.03.25 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस सेल एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14FT8299 कैब के ड्राईवर राहुल पुत्र हेम सिह नि0 एच-4 ए सैक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गा0बाद को मेडिकल सर्विस रोड के पास रजिस्ट्रेशन वाहन नम्बर UP14FT8299 के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मुझसे गलती हो गयी है। मुझे माफ कर दो।

नाम पता अभियुक्त

1. राहुल पुत्र हेम सिंह नि0 एच-4 ए सैक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 31 वर्ष।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।